

01. पप्पुलाल पिता मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. नाथुलाल पिता तुलसीराम जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. रूपा पिता पैमा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. छीतरलाल पिता देबी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. देरामपुरी पिता नाथुपुरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
05. शंकर पिता हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
06. केसरीमल पिता प्यारा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
07. लक्ष्मण पिता प्यारा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक

प्रार्थना पत्र पप्पुलाल पिता मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा दांता उर्फ छोटा थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 315 रकबा 3-16 बीघा, आराजी नं0 315/1 रकबा 0-02 बीघा कुल किता 02 रकबा 3-18 बीघा भूमि विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द को पत्थरगढी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।
अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा दांता उर्फ छोटा थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 315 रकबा 3-16 बीघा, आराजी नं0 315/1 रकबा 0-02 बीघा कुल किता 02 रकबा 3-18 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ